

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(28)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक ७/८/२०१९

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हितेश जैन, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/3239/06) को विशिष्ट न्यायालय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण), कोटा में राज्य पक्ष की ओर से प्रकरणों की पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा, अ.नि.प्र.), कोटा के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री कमल कान्त शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा, अ.नि.प्र.), कोटा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

टृष्ण
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, कोटा।
9. विशिष्ट न्यायाधीश (अजा/अजजा, अ.नि.प्र.) कोटा।
10. जिला कलक्टर, कोटा।
11. कोषाधिकारी, कोटा।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
1. रक्षित पत्रावली।

(Chanchal Mishra)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(28)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अनुसार विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं0 1 से सं0 4 कोटा में राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के समुख पद व स्थान तथा मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है :—

क्र0सं0	नाम अभिभाषक	एनरोलमेन्ट नं0	पद नाम/स्थान
1	श्री प्रेम नारायण नामदेव	आर/496/91	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं01, कोटा
2	श्री विजय कछवाहा	आर/61/96	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं02, कोटा
3	श्री ललित कुमार शर्मा	आर/2096/03	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं03, कोटा
4	श्री धीरेन्द्र सिंह चौधरी	आर/1146/10	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं04, कोटा

आज्ञा से

टू
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, कोटा।
- 9- विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं01 से सं0 4 कोटा।
10. जिला कलक्टर, कोटा।
11. कोषाधिकारी, कोटा।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय सुदृगालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

(Manohar)
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(28)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक ९/८/२०१९

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में तथा स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 30 (सी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गिरजा शंकर शर्मा, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं०/३६६८/०७) को विशिष्ट न्यायालय (एन.डी.पी.एस.एक्ट मामलात) कोटा में राज्य पक्ष की ओर से आपराधिक प्रकरणों की पैरवी व अभियोजन पक्ष का संचालन करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस.एक्ट मामलात) कोटा के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री संजीव विजय, विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट मामलात) कोटा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

८०
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।?
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर / जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
8. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, कोटा।
9. विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट मामलात) कोटा।
10. जिला कलवटर, कोटा।
11. कोषाधिकारी, कोटा।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
1. रक्षित पत्रावली।


(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(28)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 9/7/2019
:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के समुख पद व स्थान तथा मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया जाता है :—

क्रमांक	नाम अभिभाषक	एनरोलमेन्ट नं	पद नाम/स्थान
1	श्री सलीम मोहम्मद खान	आर/223/90	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01, कोटा
2	श्री सूरज सिंह यादव	आर/520/81	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं03, कोटा
3	श्रीमती स्वप्ना मेहरोत्रा	आर/127/92	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं06, कोटा
4	श्री भूपेन्द्र कुमार मित्तल	आर/427/92	अपर लोक अभियोजक (म0उ0) सं02, कोटा

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

क्रमांक	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री रितेश मेवाड़ा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01, कोटा
2	श्री बुद्धि प्रकाश दाधीच	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं03, कोटा
3	श्री शैलेष कुमार शर्मा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं06, कोटा
4	श्री महेन्द्र सिंह निर्भय	अपर लोक अभियोजक (म0उ0) सं02, कोटा

आज्ञा से

(चंचल मिश्र)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
- राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- जिला एवं सैशन न्यायाधीश, कोटा।
- अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं01, 3 एवं 6 कोटा/अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश (म0उ0) सं0 2 कोटा।
- जिला कलक्टर, कोटा।

निरन्तर/-

11. कोषाधिकारी, कोटा।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

(चंद्रशेखर मिश्रा)
(चंद्रशेखर मिश्रा)
शासन सचिव, विधि